



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]
No. 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2007/वैशाख 21, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2007/VAISAKHA 21, 1929

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2007

का. आ. 750(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) दो सौ नवासीवां संशोधन नियम, 2007 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

- (क) "2 कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;
- (ख) "7क कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;
- (ग) "8 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और उपशीर्षकों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"8क कारपोरेट कार्य मंत्रालय";
- (घ) "8क संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "8ख संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) "21क खान मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
"21क सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय"
"21कक खान मंत्रालय"
- (च) "33 लघु उद्योग मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

- (क) "कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) "कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"कारपोरेट कार्य मंत्रालय";
- (ग) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

भाग I

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के विषय :

1. वे उद्योग, जिनका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27); के अधीन जहां तक उनका संबंध क्रमशः लघु औद्योगिक उपक्रमों तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों और, यथास्थिति, उक्त अधिनियमों में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से है; संघ द्वारा विकास और विनियमन संसद द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है।

भाग II

2. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, उपरोक्त भाग I में उल्लिखित विषय, जहां तक वे इन राज्यक्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं।

भाग III

साधारण और परिणामिक :

3. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सभी उपायों संबंधी नीति और नियोजन से संबंधित सभी विषय और उनका समन्वय।
4. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड।
5. सहकारी चीनी कारखानों के सिवाय, कुटीर, खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में सहकारिता।
6. सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा, मंत्रालयों या विभागों, लोक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित पदार्थों और दी जा रही सेवाओं के उपापन के लिए अधिमानी नीतियों से संबंधित सभी विषय।
7. कुटीर, खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ तकनीकी और आर्थिक सहकारिता से संबंधित सभी विषय।

भाग IV

संबद्ध कार्यालय :

8. लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन की क्षेत्रीय इकाईयां जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और क्षेत्र परीक्षण स्टेशन, लघु उद्यमी संवर्धन और प्रशिक्षण संस्थान (एसईपीटीआई), आदि शामिल हैं।

भाग V

कानूनी और स्वायत्त निकाय तथा प्रशिक्षण संस्थान :

9. खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई।
10. कयर बोर्ड (सीबी), कोच्चि।
11. लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा चलाए जाने वाले टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र।
12. उद्यमता विकास और कुशलता विकास या प्रशिक्षण संस्थान :
 - (i) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी), हैदराबाद।
 - (ii) राष्ट्रीय उद्यमता और लघु कारबार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा।
 - (iii) भारतीय उद्यमता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी।
 - (iv) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा।
 - (v) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई।
 - (vi) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के सभी प्रशिक्षण संस्थान।
 - (vii) कयर बोर्ड के सभी प्रशिक्षण संस्थान।
13. लघु उद्योगों प्रत्यय गारंटी निधि न्यास।
14. अनुसंधान और विकास केन्द्र, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-
 - (i) विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई।
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक सेवा और प्रशिक्षण केन्द्र (ईएसटीसी), रामनगर।
 - (iii) प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र (टीपीडीसी), आगरा।
 - (iv) प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र (टीपीडीसी), मेरठ।

- (v) सुरभि और सुरुचि विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज ।
 - (vi) कांच उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद ।
 - (vii) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा ।
15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिसमें असंगठित क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के लिए बनाए गए कोई अन्य कानूनी निकाय या संस्थान ।

भाग VI**लोक क्षेत्र के उपक्रम :**

16. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली ।

भाग VII**पुरस्कार और प्रदर्शनियां :**

17. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
18. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
19. क्वालिटी उत्पादों, जिसमें खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योग शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
20. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, क्रेता-विक्रेता सम्मिलन और इनके समरूप समारोह।

भाग VIII**अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रशासन :**

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) और उनके अधीन नियम और विनियम ।
22. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख उस सीमा तक जहां तक उसके उपबंधों का संबंध, लघु औद्योगिक उपक्रमों और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों से है तथा उसके अधीन नियम और विनियम ।
23. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) और उनके अधीन नियम और विनियम।
24. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) और उसके अधीन नियम और विनियम ।

भाग IX**प्रकीर्ण :**

25. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के माध्यम से औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन से संबंधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और इसी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रमों का राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समन्वय और क्रियान्वयन, तथा इस प्रकार के उद्यमों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना ।
 26. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित अन्य सभी विषय जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आर्बिट्रित न किए गए हों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) से संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत विद्यमान कानूनी संगठनों, क्षेत्र कार्यालयों और संस्थाओं की पुनःनामपद्धति” ;
- (घ) “लघु उद्योग मंत्रालय” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

आ. प. जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/4/2007-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, उप-सचिव (मंत्रिमण्डल)

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2007

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Eighty Ninth Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the FIRST SCHEDULE,—

(A) the heading “2 Ministry of Agro and Rural Industries (Krishi Evam Gramin Udyog Mantralaya)” shall be omitted;

(B) the heading “7A Ministry of Company Affairs (Kampany Karya Mantralaya)” shall be omitted;

(C) after the heading “8 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya Aur Sarvajanic Vitaran Mantralaya)” and the sub-headings, the following heading shall be inserted, namely:—

“8A Ministry of Corporate Affairs (Korporate Karya Mantralaya)”;

(D) for the heading “8A Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)” the heading “8B Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)” shall be substituted;

(E) for the heading “21A Ministry of Mines (Khan Mantralaya)” the following headings shall be substituted, namely:—

“21A Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Sukshma Laghu Aur Madhyam Udyam Mantralaya)”

“21AA Ministry of Mines (Khan Mantralaya)”

(F) the heading “33 Ministry of Small Scale Industries (Laghu Udyog Mantralaya)” shall be omitted.

(2) in the SECOND SCHEDULE,—

(A) the heading “MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (KRISHI EVAM GRAMIN UDYOG MANTRALAYA)” and the entries relating thereto, shall be omitted;

(B) for the heading “MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANY KARYA MANTRALAYA)” the following heading shall be substituted, namely:—

“MINISTRY OF CORPORATE (KORPORATE KARYA MANTRALAYA)”;

(C) after the heading “MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)” and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

“MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SUKSHMA LAGHU AUR MADHYAM UDYAM MANTRALAYA)”

PART I**Subjects in List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:**

1. Industries, the development and regulation of which by the Union are declared by Parliament to be expedient in public interest under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) so far as they relate respectively to small scale industrial undertakings and ancillary industrial undertakings and, as the case may be, micro, small and medium enterprises defined in the said Acts.

PART II

2. For the Union Territories, the subject mentioned in PART I above so far as they exist in regard to these territories.

PART III**General and Consequential:**

3. All matters of policy and planning relating to and coordination of all measures for development of micro, small and medium enterprises, including khadi, cottage, village and coir industries.
4. National Board for Micro, Small and Medium Enterprises.
5. Co-operation in the micro, small and medium enterprises sector, including cottage, khadi, village and coir industries, excepting cooperative sugar factories.
6. All matters relating to preference policies for procurement of goods produced and services rendered by micro and small enterprises by Ministries or Departments, public sector undertakings and aided institutions of the Central Government.
7. All matters relating to technical and economic cooperation with the United Nations Industrial Development Organisation for promotion and development of micro, small and medium enterprises, including cottage, khadi, village and coir industries.

PART IV**Attached Office:**

8. Small Industries Development Organisation (SIDO) and Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), including Small Industries Development Organisation field units like Small Industry Service Institutes, Regional Testing Centres and Field Testing Stations, Small Entrepreneurs Promotion and Training Institute (SEPTI), etc.

PART V**Statutory and Autonomous Bodies and Training Institutes:**

9. Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai.
10. Coir Board (CB), Kochi.
11. Tool Rooms and Training Centres operated through the Small Industries Development Organisation.
12. Entrepreneurship Development and Skill Development or Training Institutes:
 - (i) National Institute of Small Industry Extension Training (NISIET), Hyderabad.
 - (ii) National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), NOIDA.
 - (iii) Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati.
 - (iv) Central Footwear Training Institute (CFTI), Agra.
 - (v) Central Footwear Training Institute (CFTI), Chennai.
 - (vi) All Training Institutes of Khadi and Village Industries Commission.
 - (vii) All Training Institutes of Coir Board
13. Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries.
14. Research and Development Centres, including:
 - (i) Institute for Design of Electrical Measuring Instruments (IDEMI), Mumbai.
 - (ii) Electronic Service and Training Centre (ESTC), Ramnagar.
 - (iii) Process and Product Development Centre (PPDC), Agra.
 - (iv) Process and Product Development Centre (PPDC), Meerut.
 - (v) Fragrance and Flavour Development Centre (FFDC), Kannauj.
 - (vi) Centre for the Development of Glass Industry (CDGI), Firozabad.
 - (vii) Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialisation, Wardha.
15. Any other statutory body or institute created for Micro, Small and Medium Enterprises including those in the unorganised sector.

PART VI**Public Sector Undertaking:**

16. National Small Industries Corporation Limited, Delhi.

PART VII**Awards and Exhibitions:**

17. National Awards for Micro, Small and Medium Enterprises, including khadi, cottage, village and coir industries.
18. National Awards for Research and Development Efforts by Micro, Small and Medium Enterprises, including khadi, cottage, village and coir industries.
19. National Awards for Quality Products, including khadi, cottage, village and coir industries.
20. National and international exhibitions, buyer-seller meets and similar events for promotion and development of micro, small and medium enterprises, including khadi, cottage, village and coir industries.

PART VIII**Administration of Acts, Rules and Regulations:**

21. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and Rules and Regulations thereunder.
22. Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to the extent its provisions relate to small scale industrial undertakings and ancillary industrial undertakings and Rules and Regulations thereunder.
23. The Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) and Rules and Regulations thereunder.
24. The Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and Rules and Regulations thereunder.

PART IX**Miscellaneous:**

25. Coordination and implementation of Prime Minister's Rozgar Yojana and Rural Employment Generation Programme and similar schemes or programmes relating to industrialisation and employment generation through promotion and development of micro, small and medium enterprises, including khadi, cottage, village and coir industries with the States or Union territories, and enhancing the competitiveness of such enterprises and industries.
 26. All other matters relating to micro, small, medium enterprises including khadi, cottage, village and coir industries, not specifically allocated to any other Ministry or Department and nomenclature of the existing non-statutory organisations, field offices and institutions under the Ministry in line with the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)";
- (D) the heading "MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES (LAGHU UDYOG MANTRALAYA)" and the entries relating thereto shall be omitted.

A.P.J. ABDUL KALAM

PRESIDENT

[F. No. 1/22/4/2007-Cab]
K. L. SHARMA, Dy. Secy. (Cabinet)